

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,

कोडरमा अंचल।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं पूजम देवी w/o- सुरेंद्र पाण्डेय

ग्राम गोड़ा पो० पुजलमो थाना वरकड़ा

जिला इपरीवा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित भूमि का बिक्री करना है :-

1. मौजा मोरिघावा
2. थाना तिरुंगा
3. थाना संख्या 02
4. खाता संख्या 19
5. प्लॉट संख्या 1391
6. रकवा 6.50
7. भूमि का किस्म रेंगरी
8. अद्यतन रसीद संख्या 07592/5238
9. दाखिल खारिज वाद संख्या 3800/2011-12

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

पूजम देवी  
विश्वासभाजन

## न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

09.12.2022


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०...395/2022

आवेदिका पूनम देवी पति सुरेन्द्र पाण्डेय, साकिन-गैडा, पोस्ट-चुगलामो, थाना-बरकटठा जिला-हजारीबाग द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
मोरियावा	02	19	1391	06 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 16/12/2022 को प्रस्तुत करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा

16.12.2022


30.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मोरियावा, थाना नं०-02, खाता सं०-19, प्लॉट सं०-1391, रकवा-06, डी० भूमि पूनम देवी पति सुरेन्द्र पाण्डेय, के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-69 भाग सं०-16 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-3800/2011-12 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-3285 दिनांक-20.05.2010 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-81 दिनांक-02.12.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया मौजा-मोरियावा, थाना नं०-02, खाता सं०-19, प्लॉट सं०-1391, रकवा-06, डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-मोरियावा, थाना नं०-02, खाता सं०-19, प्लॉट सं०-1391, रकवा-06, डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा